

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)


सं. 13017/42/2011-अ.भा.से.-I

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 11 जुलाई, 2017

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा त्रिपुरा राज्य सरकार और गृह मंत्रालय की सहमति से केंद्र सरकार, सुश्री सौम्या गुप्ता, आईएएस (टीआर:2004) की पहले पांच वर्षों की अवधि के अनुमोदन के दिनांक 03.07.2017 को पूरा हो जाने पर उसके बाद एक वर्ष की अवधि के लिए त्रिपुरा संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग (दिल्ली सेगमेंट) में अंतरसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति अवधि के विस्तार के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011-23094142

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)